How the Corpus Fund is created ?

''कॉर्पस फंड'' कैसे बनाया जाता है ?

अगर आप किसी फंडींग ऑरगनायझेशन को प्रकल्प के अनुदान के लिये प्रस्ताव दे रहे हो, अगर आपका प्रकल्प ३ साल का है और तीन सालों के लिये कुल अनुदान रू. ५० लाख का है । पहले साल २० लाख, दुसरे साल २० लाख और तीसरे साल १० लाख का अनुदान है । तो आप प्रस्ताव में कह सकते हो की संस्था के कार्यक्रम तीन साल के बाद भी चलते रहेंगे और इसलिये हर साल अनुदान से २०/ रकम कॉर्पस में रखेंगे ।

अगर आप डोनर संस्था के साथ चर्चा की शुरूवात करेंगे तो २०/ से संस्था अनुदान का १५/ या १०/ हिस्सा कॉर्पस के लिये रखने को अनुमती देगी । लेकिन यह मंजूरी भी डोनर की तरफ से लिखित रूप में आनी चाहिये । कॉर्पस में जानेवाली राशी संस्था की आमदनी में नहीं गिनी जाएगी । लेकिन एक साल के बाद इस राशीपर मिलनेवाला ब्याज/इंटरेस्ट आमदनी या इनकम में गीना जायेगा ।